

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर

उनवान रमेश प्रसाद बनाम राज. सरा मुं नं० 1/225/21

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--------	------------------------------------	---

08/12/21 - काफ़ मय पञ्जाबी राज-सिंह  
 दादा चलाये जा रहे कर्मिणा "प्रशासन-  
 गावों के सेज-2021 केम स्थान काय  
 निर्माण राप्ती, गांधी सेवा डेकू डिग्री  
 तह थानागाजी का पेमा डेकू मिनि  
 स्थान पर प्राथमिक डका पिन के धारक  
 शारिक आडेमिका ए पञ्जाबी डक  
 डमानपूर्वक कवलोडन विद्या जमा  
 प्राथमिक दादा फुडरन के निकेडन विना  
 कान छि हाल कायपी खन नं० 1958/0.08डै०,  
 1991/0.40डै०, 2017/0.10डै०, खातासिखा  
 ममा 458 वाडे गजम डिग्री तह थानागाजी  
 पिना कवक म लिपत ए विवादित  
 कायपी प्राथमिक डे पिना शरणीलाय  
 की डवजे डारत की खालेडली कायपी ए  
 तमा काफ़ भी ~~खालेडली~~ प्राथमिक डे  
 पिना शरणीलाय डे नाम दम रिडोड  
 चाली कायपी ए प्राथमिक डे दादा का  
 सही नाम रामप्रताप है डिन्तु इनका बोलता  
 नाम रामप्रसाद ए और धर, गावें व ली,  
 रिशेडारी मे जमाडाल लोग इन्हे शरी गकि  
 से जौना जाता ए. रली वजहसे विवादित  
 कायपी डे राजसु रिडोड मे प्राथमिक  
 डे पिना शरणीलाय की वलिदयत रामप्रसाद  
 दम है रही है। रामप्रताप व रामप्रसाद  
 एक ही व्यक्ति है न डि के कपग-कलवा  
 व्यक्ति कनर मे उपरोक्त कायपी-

कनम 91142मर्

मोती लाल राणा

P.T.O.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी, उ

उनवान कुठल मसाड V/S ललम... मु० नं० 1/225/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम की तामील
-------------	------------------------------------	------------------------

हे राजल - रिपोर्ट में प्रार्थना के पिता रामलीलाल की वलियत रामप्रसाद के स्थान पर रामप्रताप दल डिपेंडेंट और रामप्रताप नाम सुइवाते हेके रामलीलाल की वलियत रामप्रताप दल कुराने जाति का निवेदन किया।

शिवि स्थल पर पञ्जाबी के समस्त दस्तावेजों में जमावती सम्वत् 2074-77 के खता सं. 458 में वलियत खसत नामान का उल्लेख किया। उक्त राजल कमिसेन के क्रम सं. 5 पर दल रामलीलाल पुत्र रामप्रसाद हिसा 1/2 जाति आदि गैर ब्राह्मण खोतखु दल है तथा आधा र्हाड, मतदारा - पदचान-पत्र, मध्य प्रमाण पत्र, एवं सरपंच, ग्राम पंचायत बिगोरी डाटा जोरी प्रमाण-पत्र दिनांक 21.09.2021 में रामलीलाल पुत्र रामप्रताप दल है।

शिवि स्थल पर प्रकरण के तहसीलदार थानागाजी, पञ्जाबी दल, के ऊपर निम्न रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुलाविड रिपोर्ट तहसीलदार-थानागाजी, पञ्जाबी दल, के ऊपर निम्न है कतलाम "राजल ग्राम बिगोरी में रामलीलाल पुत्र रामप्रताप जाति आदि गैर ब्राह्मण निगडिशोरी कर रहे वाला है। राजल - रिपोर्ट में रामलीलाल के पिता का नाम रामप्रसाद दल है जेवनि समस्त दस्तावेजों (आधार र्हाड -

P.T.O.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर

उपखण्ड न्यायालय मु० नं० ५२२५/५

ख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>दो आधा कार्ड, पहचान-पत्र, मूल्क प्रमाण पत्र) एवं ग्रामीण कोषचाल में रामप्रताप ही उपस्थित ग्रामीण के बतौर कुटुंबा रामप्रताप एवं रामप्रसाद पुत्र ही व्यक्ति हैं, होना कंपनी रिपोर्ट के अन्तर्गत करामाध्य</p> <p>अतः प्राथमिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (आधा कार्ड, पहचान-पत्र, मूल्क-प्रमाण-पत्र) एवं सरपंच, ग्राम पंचायत डिग्री द्वारा दिनांक २१-९-२१ के जारी प्रमाण-पत्र तथा तहसीलदार, थानागाजी, पंचायत हल्का व ग्राम अन्वेषण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक प्रां.पत्र अन्तर्गत धारा-१३६ L.R. Act के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना चायेचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः आदेश है कि—</p> <p>"प्राथमिक प्रां.पत्र अन्तर्गत धारा-१३६ L.R. Act प्रस्तुत दस्तावेजात (आधा कार्ड, पहचान-पत्र, मूल्क प्रमाण पत्र, सरपंच, ग्राम पंचायत डिग्री द्वारा जारी प्रमाण पत्र) तथा मुनाबिक रिपोर्ट तहसीलदार थानागाजी पंचायत हल्का व ग्राम अन्वेषण के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, थानागाजी के आदेश दिखे जाते हैं कि राजस्व-रिकॉर्ड हाल जमाव-दी-सम्बर २०७५-२०७७ के खाला संख्या ५५० के क्रम सं. ०५ पर अंकित प्रविष्टि रामजीलाल पुत्र रामप्रसाद हिस्सा १/२ जाति आदि गैड ब्राह्मण-</p>	

P.T.O.

रीख  
क्रम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
अहकाम ज  
की तामील

सां देह खोलेदा। उ स्थान पर  
दुरुस्ती कर रामजीलाल पुत्र रामप्रताप  
हिस्सा 1/2 भाति आदि जैड ब्राह्मण सांवेदे  
खोलेदा दर्ज किया जावे। शेष प्रकियट  
मथावत दर्ज रहे। आदेश जारी हो।  
प्रशासकी नम्बर से इम होकर वाद पूर्ति  
जमा लेख भण्डा हो।

मह आदेश आज दिनांक 08/12/21  
के लिखवाया जाकर राज्य सरकार  
द्वारा चलाये जा रहे "प्रशासन गावों  
के संग अभियान-2021 मिथि स्थल  
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा डेप्ट  
डिप्टी लैड थानागाजी पर सुलभ  
मजमेआम सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी

प्रशासन गावों के संग अभियान-2021

कैम कोर्ट १३/१२/२१